न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 235/2021
3. उनवान : सरकार जरिये, राजेश कुमार टांक, प्रवर्तन निरीक्षक
बनाम
अज्ञात
4. निर्णय दिनांक : 06.10.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, जयपुर प्रथम, श्री राजेश कुमार टांक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 08.02.2020 को जांच के लिये 200 फीट बाईपास, दादी का फाटक पुलिया के पास, जय जगदम्बा नगर, जयपुर पर पहुंचे। मौके पर खाली भूमि पर पेड के नीचे एचपीसीएल के दो घरेलू गैस सिलेण्डर, तीन बांसुरीनामा नुकीले यंत्र एवं गैस सिलेण्डर के 8 सेफ्टी कैप पडे हुये पाये गये। मौके पर उक्त स्थान पर उक्त सामान के पास कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं पाया गया। इसलिये उक्त सामान लावारिस स्थिति में पाये जाने पर प्रथतदृष्टया किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों में से गैस निकालकर दुरुपयोग किया जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में उक्त सामान को जब्त करने के उपरान्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी अज्ञात होने से उसका नाम, पता नहीं होने से नोटिस की तामील संभव नहीं थी। अप्रार्थी (अज्ञात) की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अप्रार्थी(अज्ञात)/अभिभाषक द्वारा कोई जवाब आदिनांक तक पेश नहीं किया गया तथा ना ही किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जब्तशुदा सामग्री के लिये कोई दावा पेश किया। तत्पश्चात प्रकरण लम्बे समय तक नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी। इस पर भी अप्रार्थी(अज्ञात)/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त वस्तुओं को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 06.10.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 08.02.2020 को जब्त सामान लावारिस स्थिति में पाया गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में आज तक कोई क्लेम नहीं किया गया है। अज्ञात व्यक्ति द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डारण एवं दुरुपयोग कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस(प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई दावा पेश नहीं करने, अज्ञात अथवा किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा जब्त एचपीसीएल के दो घरेलू गैस सिलेण्डर, तीन बांसुरीनामा नुकीले यंत्र एवं गैस सिलेण्डर के 8 सेफ्टी कैप को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत अन्तिम निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर